न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारीः— श्री श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर ए एस)

राजस्व वाद संख्याः— 2/290/2024 दायर दिनांकः— 16/12/2024

जीसीएमएस नं0ः— 2024/650 निर्णय दिनांकः— 29/08/2025

बउनवान

1. मयंक उम्र 8 साल पुत्र धीरज जाति जाट निवासी गारू नाबालिग
2. रितिक उम्र 7 साल पुत्र धीरज जाति जाट निवासी गारू नाबालिग
   नाबालिगान, जरिये सपरस्त माता राधा वेवा धीरज जाति जाट निवासी
   गारू तहसील कठूमर जिला अलवर

सायलान

बनाम

1. ओमवीर पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी गारू
2. कपिल पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी गारू
3. जगदीश पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी गारू
   तहसील कठूमर जिला अलवर
4. उप पंजीयक महोदय खेरलीमण्डी

गैरसायलान

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित —घनश्याम शर्मा मानसिंह चौधरी— एडवोकेटस— अधिवक्ता प्रार्थीयान

—ःनिर्णयः—

प्रार्थीयान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आ0 ख0 न0 733 रकवा 0.25 हे0 वाके ग्राम दारौदा व खसरा नम्बर 930 रकवा 0.24 हे0 923 रकवा 0.73 हे0 1260 रकवा 0.68 हे0 1361 रकवा 0.65 हे0 846 रकवा 0.83 हे0 1210 रकवा 0.14 हे0 1208 रकवा 0.49 हे0 खसरा नम्बर 1166 रकवा 0.72 हे0 1174 रकवा 0.19 हे0 1205 रकवा 0.23 हे0

उपखण्ड अधिकारी
(अलवर) राज०

के जमिनी के साथ पढ़ा जावे।

1230 रकवा 0.13 हे0 1256 रकवा 0.39 हे0 1274 रकवा 0.85 हे0 854 रकवा 0.39 हे0 855 रकवा 0.53 हे0 863 रकवा 0.54 हे0 972 रकवा 0.13 हे0 973/2637 रकवा 0.06 हे0 848 रकवा 0.92 हे0 1167 रकवा 0.54 हे0 1217 रकवा 0.48 हे0 1232 रकवा 0.14 हे0 1251 रकवा 1.43 हे0 1259 रकवा 0.44 हे0 1285 रकवा 0.47 हे0 840 रकवा 0.72 हे0 1221 रकबा 0.61 हैक्ट0 वाके ग्राम गारू तहसील कठूमर जिला अलवर में वाके है। सायलान के संरक्षक बसपरस्त पडदादा रामस्वरूप दादा सुक्की एंव पिता धीरज फौत हो चुके है। अतः सायलान के संरक्षक बसपरस्त उनकी माता राधा वेवा धीरज के अलावा अन्य कोई संरक्षक नहीं है अतः राजस्व रिकार्ड से वादीगण के संरक्षक पडदादा रामस्वरूप का नाम कलमजन कर सायलान के संरक्षक बसपरस्त उनकी माता राधा वेवा धीरज को संरक्षक घोषित किया जावे। सायलान का आराजी खसरा नम्बर 733 का 1/2 हिस्सा वाके ग्राम दारौदा व खसरा नम्बर 930 का 1/4 हिस्सा 923 का 17/112 हिस्सा 1260 का 17/112 हिस्सा 1361 846 का 1/4 हिस्सा 1210 का 1/4 हिस्सा 1208 का 1/4 हिस्सा खसरा नम्बर 1166, 1174, 1205, 1230, 1256, 1274, 854, 855, 863, 972, 973/2637 का 1/4 हिस्सा 848 का 1/8 हिस्सा 1167, 1217, 1232, 1251, 1259, 1285 का 1/12 हिस्सा 840 का 1/8 हिस्सा 1221 रकबा 0.61 हैक्ट0 का 1/4 हिस्सा वाके ग्राम गारू तहसील कठूमर में है तथा शेष हिस्सा गैरसायलान व प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज है। विवादित आराजी सायलान, गैरसायलान व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की दर्ज रिकार्ड आराजी है यानि विवादित आराजी का कानूनी रूप से वंटवारा नहीं हुआ है विवादित आराजी अवट है। विवादित आराजी पर सायलान, गैरसायलान व प्रतिवादीगण शामलात में काविज रहकर काश्त करते है। विवादित आराजी सायलान, गैरसायलान एंव प्रतिवादीगण की जोइण्ट होल्डिंग की आराजी है। लगान सरकारी सायलान अदा कर रहे है। अव सायलान, गैरसायलान एंव प्रतिवादीगण के मध्य विवादित आराजी पर शामलात मे काश्त को लेकर आपस में लडाई झगडे होते रहते है तथा गैरसायलान विवादित आराजी पर शामलात में काश्त को लेकर रूचि नहीं रखते इस वजह से कम पैदाबार होती है तथा सायलान एंव गैरसायलान के मध्य विवादित आराजी पर शामलात काश्त को लेकर मनमुटाव इस कदर बढ गये है कि विवादित आराजी पर किसी भी सूरत में शामलात में काश्त करना संभव नहीं है। इस वजह से सायलान विवादित आराजी में अपने हिस्सा की आराजी को अलग से तकसीम कराकर अलग खाता कायम कर अपने हिस्सा की आराजी में अच्छे किस्म के खाद बीज डालकर अधिक उपजाउ बनाना चाहते है सायलान ने गैरसायलान से विवादित आराजी के कानूनी तकासमा वावत कहा तो गैरसायलान ने साफ इन्कार कर दिया। गैरसायलान जबर्दस्त, लडाका व झगडालू किस्म के मूँहजोर व्यक्ति है। जिन्होंने

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज0,

विवादित आराजी के कानूनी तकासमा न कराने के साथ साथ सायलान को खुले आम धमकी दी है कि हम विवादित आराजी का कानूनी तकासमा नहीं करायेगें तथा तुम्हें तुम्हारे हिस्से की आराजी पर शामलात मे शांति पूर्वक काश्त नहीं करने देगें तथा विना तकासमा कराये ही विवादित आराजी को गैरसायल सं0 36 से मिलकर दीगर लोगों को रहन वय हिवा आदि द्वारा मुन्तकिल कर कब्जा करा देगें जवकि गैरसायलान को ऐसा करने का अधिकार नहीं है यदि गैरसायलान अपने नापाक ईरादों में कामयाव हो गये तो सायलान तवाह एंव वर्वाद हो जावेगें जिसकी पूर्ति किसी भी तरह संभव नहीं है। अतः सायलान ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को ता फैसला दावा पाबन्द कराने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरसायलान की तलबी के नोटिस जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवाये गये गैरसायलान बाबजूद रजिस्टर्ड तामील उपस्थित नहीं आये जिनके विरूद्व दिनांक 24.07.2025 को एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई सायलान ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 वाके ग्राम गारू की छाया प्रति पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

सायल को प्रार्थना पत्र में सफलता प्राप्त करने के लिये निम्न तीन विन्दुओं को अपने पक्ष में सावित करना है –

1. प्रथम दृष्टा केस
2. सुविधा का सन्तुलन
3. ना पूर्ति होने वाली क्षति

प्रथम दृष्टा केसः– विद्वान अधिवक्ता सायलान ने अपनी वहस में मुख्य रूप से अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी सायलान एंव गैरसायलान की शामलात खातेदारी में दर्ज है। जो अवट आराजी है जिसका कानूनी तकासमा नहीं हुआ है लेकिन अव गैरसायलान विवादित आराजी पर सायलान के शामलात काश्त करने में बाधा पैदा करते है तथा विना तकासमा कराये दीगर लोगों को रहन वय करना चाहते है। यदि गैरसायलान ने ऐसा कर दिया तो सायलान को अपार हानि व असुविधा तथा क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी तरह संभव नहीं है। गैरसायलान जान वूझ कर तामील हो जाने पर भी उपस्थित नहीं आये है इस वजह से गैरसायलान को पाबन्द किया जाना जरूरी है। हमने पत्रावली के तथ्यों सायलान ने अपने प्रार्थना पत्र को सावित करने के लिये जमाबन्दी हाल की छाया प्रति पेश की है। जमाबन्दी

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

हाल में विवादित आराजी सायलान एंव गैरसायलान की शामलात खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थना पत्र के तथ्यों व प्रस्तुत जमाबन्दी का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता सायलान की वहस पर मनन किया। सायलान द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी के अवलोकन से यह सावित है कि विवादित आराजी सायलान व गैरसायलान की शामलात खातेदारी में दर्ज है। अतः विवादित आराजी सायलान व गैरसायलान की शामलात खातेदारी मे दर्ज होने से उक्त आराजी का अवट व शामलात में काश्त करने का अनुमान किया जाता है। सायलान विवादित आराजी में हिस्सानुसार सहखातेदार दर्ज है। जिस कारण गैरसायलान को सायलान के कब्जे काश्त में बाधा पैदा करने व विना तकासमा रहन वय करने का अधिकार नहीं है। गैरसायलान ने हाजिर अदालत होकर अपनी ओर से कोई जवाव प्रार्थना पत्र व एतराज भी पेश नहीं किये है यदि गैरसायलान को पाबन्द नहीं किया गया तो गैरसायलान सायलान के कब्जे काश्त में बाधा पैदा कर सकते है तथा रहन वय कर सकते है। जिससे सायलान को नुकशान होने का अनुमान किया जाता है। अतः प्रथम दृष्टा केस सायलान के पक्ष में सावित होता है।

सुविधा का सन्तुलनः—सायलान द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी में विवादित आराजी सायलान एंव गैरसायलान की खातेदारी में दर्ज है। गैरसायलान बाबजूद तामील उपस्थित नहीं आये जिनके विरूद्व एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई है। यदि गैरसायलान को पाबन्द नहीं किया गया तो गैरसायलान विवादित आराजी के कब्जे काश्त में बाधा पैदा कर सकते है तथा रहन वय कर सकते है जिस कारण सायलान को असुविधा होना संभव है। अतः सुविधा का सन्तुलन भी सायलान के पक्ष में प्रतीत होता है।

ना पूर्ति होने वाली क्षतिः— विवादित आराजी सायलान एंव गैरसायलान की खातेदारी में दर्ज है। सायलान विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार है विवादित आराजी का अवट होने व शामलात में काश्त करने का अनुमान किया जाता है। यदि गैरसायलान ने सायलान के कब्जे काश्त में बाधा पैदा की या विना तकासमा रहन वय कर दिया तो ना पूर्ति होने वाली क्षति सायलान को होना संभव है। इससे वाद वहुलता भी बढगी अतः ना पूर्ति होने वाली क्षति भी सायलान के पक्ष में प्रतीत होती है।

उपरोक्त बिन्दुओ के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र साबित होने के कारण स्वीकार किये जाने योग्य प्रतित होता है।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

—:आदेश:—

उपरोक्त विवेचन से प्रथम दृष्टा केस सुविधा का सन्तुलन एंव ना पूर्ति होने वाली क्षति तीनों विन्दु सायलान के पक्ष में सावित हैं। अतः प्रार्थना पत्र सायलान स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को आराजी खसरा नम्बर 733 रकवा 0.25 हे0 वाके ग्राम दारौदा व खसरा नम्बर 930 रकवा 0.24 हे0 923 रकवा 0.73 हे0 1260 रकवा 0.68 हे0 1361 रकवा 0.65 हे0 846 रकवा 0.83 हे0 1210 रकवा 0.14 हे0 1208 रकवा 0.49 हे0 खसरा नम्बर 1166 रकवा 0.72 हे0 1174 रकवा 0.19 हे0 1205 रकवा 0.23 हे0 1230 रकवा 0.13 हे0 1256 रकवा 0.39 हे0 1274 रकवा 0.85 हे0 854 रकवा 0.39 हे0 855 रकवा 0.53 हे0 863 रकवा 0.54 हे0 972 रकवा 0.13 हे0 973/2637 रकवा 0.06 हे0 848 रकवा 0.92 हे0 1167 रकवा 0.54 हे0 1217 रकवा 0.48 हे0 1232 रकवा 0.14 हे0 1251 रकवा 1.43 हे0 1259 रकवा 0.44 हे0 1285 रकवा 0.47 हे0 840 रकवा 0.72 हे0 1221 रकबा 0.61 हैक्ट0 वाके ग्राम गारू तहसील कठूमर जिला अलवर के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु ता फैसला दावा पाबन्द किया जाता है तथा पत्रावली पर प्रभावी आदेश दिनांक 16.12.2024 मूल वाद के निस्तारण तक कनफर्म किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो वो मूल वाद के साथ संलग्न हो।

निर्णय आज दिनांक 29.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया।

श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी, कठूमर, अलवर

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

1